उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग- 1

संख्या-60/2016/2510/37-1-2016-2(20)/2015

लखनऊ: दिनाँक 26 सितम्बर, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा पशु चिकित्साधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद की स्वस्थता परीक्षा में स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित 04 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 5400 में पशु चिकित्साधिकारी के पद पर निम्न शर्तो के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त करने तथा संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित जनपदों के रिक्त पशु चिकित्सालयों पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त अभ्यर्थी पशु चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

2- इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्ते शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होगी।

3- उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होंगे।

4- उ0प्र0 अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

5- सभी अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या अपनी तैनाती के जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6- समस्त अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7- तैनाती के जनपद तक जाने/पहुँचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8- उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण्-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

9- इन पशु चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

पी0के0 महान्ति
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2016/2510(1)/37-1-2016, तददिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-32/01/एस-2/डी/2013- 14, दिनाँक 03 जून, 2015 एवं पत्र संख्या-31(1)/01/एस-2/डी/2013-14, दिनाँक 30 जून, 2015 के क्रम में सूचनार्थ।

(3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(4) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

(6) सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया नियुक्त अधिकारियों को क्रमांक-8 में उल्लिखित अभिलेखों को उपलब्ध कराकर इनके तैनाती स्थल पर योगदान करायें और योगदान रिपोर्ट शासन को विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर अवश्य प्रेषित करें।

(7) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।

(8) सम्बन्धित अधिकारियों को संलग्न सूची के अनुसार (रजिस्टर्ड डाक द्वारा) ।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राहुल सिंह
विशेष सचिव।

कार्यालय आदेश संख्या-2510/37-1-2016-2(20)/2015, दिनाँक सितम्बर, 2016 का संलग्नक।

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	गृह जनपद/ जन्म तिथि	तैनाती का स्थान
1	डा0 सतीश चन्द्र पुत्र श्री प्रेम चन्द्र	हमीरपुर 01-07-1978	पशु चिकित्सालय फतेहगंज, बाँदा।
2	डा0 कमलेश कुमार सिंह पुत्र श्री सत्य नारायण सिंह	चित्रकूट 22-06-1981	पशु चिकित्सालय कमासिन, बाँदा।
3	डा0 प्रभात गुप्ता पुत्र श्री राम प्रताप गुप्ता	झाँसी 06-03-1984	पशु चिकित्सालय बिरधा, ललितपुर।
4	डा0 ललीता शर्मा पुत्री श्री शीव प्रसाद शर्मा	सोनभद्र 25-09-1986	पशु चिकित्सालय राजा तालाब, वाराणसी।

राहुल सिंह
विशेष सचिव।